न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 7/2021

GCMS NO. : 2021/15

–:: सायलान ::–

1. उदयसिंह पुत्र नंदसिंह
जाति राजपुत निवासी
राबडियावास तहसील जैतारण।

बनाम

–:: गैरसायलान ::–

1. उमरावसिंह पुत्र नंदसिंह
2. मानसिंह पुत्र नंदसिंह
3. राजकंवर पुत्री नंदसिंह
4. किशनसिंह पुत्र लालसिंह
5. राजेश्वरकंवर पत्नी लालसिंह
6. भवानीसिंह पुत्र नारायणसिंह
7. विकलकिशोरसिंह पुत्र नारायणसिंह
8. जगपालसिंह पुत्र नारायणसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण
राबडियावास तहसील जैतारण।
9. पटवारी, पटवार हल्का
राबडियावास तहसील जैतारण
जिला–पाली
10. तहसीलदार एवं उपपंजियन
अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 18/02/2021

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, श्री सुनिल सैन, श्री धर्मेश जांगिड, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 30/03/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा राबडियावास, पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वाके आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा आई हुई है जिसमें सायल का 1/6 वां हक हिस्सा का 1/2 हिस्सा आता है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज कास्त एवं उपयोग उपभोग सायल बिना किसी रोकटोक के करता चला आ [illegible] शेष हिस्सा गैरसायलान का आता है। सायल अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर [illegible] काश्त एवं उपभोग–उपभोग है तथा उक्त कृषि भूमि रास्ते से जुड़ी है [illegible] सायल ने [illegible] अपने हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:52:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

की कृषि भूमि पर सरकारी एवं अर्द्धसरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए एवं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का प्रयास किया तो उसके लिये अपना हिस्सा अलग से बंटवाडा होना चाहिए जिस पर पटवारी हल्का राबडियावास ने गैरसायलान की सहमति के कथन किये जिस पर सायल दिनांक 30/1/2021 को गैरसायलान से मिला एवं सहमति से अपना बंटवाडा करवाने का निवेदन किया तो गैरसायलान संख्या एक ने सहमति से बंटवाडा करवाने का स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा एलानिया कथन किया की मैं रास्ते से जुड़े मुख्य भू भाग को बिना बंटवाडा करवाये ही अपनी ताकत एवं तानाशाही के बल पर उसमे खूर्द बुर्द कर डिक्की तालाब निर्माण करवाना शुरू कर दिया व किसी अजनबी क्रेता भू–माफिया को बेच दुगां तथा तुम्हे जोर जबरदस्ती मौके से बेदखल कर दुगां तथा किसी सुरत में बंटवाडा नहीं होने दुगां जबकि भूमि का बंटवाडा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् से किया जाना आवश्यक है। इन तमाम परिस्थितियों एवं मौके तथा रेवेन्यु रेकर्ड की स्थितिनुसार व गैरसायलान के कथनानुसार सायल अपनी उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकार होने से एवं अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाडा का विरुद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। यदि गैरसायलान अपने ऐसे नापाक इरादो में सफल हो जाता है तथा सायल को मौके से बेदखल कर देता है या सायल के काबिज उपयोग उपभोग मे दखलन्दाजी पैदा करता है या निराई गुडाई फसल कटाई तविया आदि बिना बंटवाडे के ही हक हिस्से से अधिक भूमि पर कर देते है तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का आंकलन मुद्रा मे नही किया जा सकेगा तब अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। तथ्यो, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर सायल का अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा एवं उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है। यदि गैरसायलान् संख्या 6 से 8 बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही मुख्य भू–भाग पर कब्जा कर तालाब का निर्माण कर देते हैं एवं सायल को उसके हक हिस्से से बेदखल कर देते है तथा उक्त भूमि का बिना बंटवाडा करवाये ही किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वाके आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि में से सायल के हक हिस्से एवं काबिज उपयोग उपभोग मे दखलन्दाजी नहीं करें, सायल अपने हक हिस्से की भूमि में अपनी मनमर्जी अनुसार तमाम कार्य करें या करावे तो उसे गैरसायलान स्वयं या उसके नौकर चा हाली एजेन्ट रिश्तेदार आदि किसी प्र[illegible] नही करे निर्माण आदि नही करे फसल आदि नही बोए तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रहन, बेचान, बक्सीसी अन्य हस्तान्तरण खुर्द बुर्द एवं तालाब निर्माण आदि नहीं करे गैरसायलान को मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:52:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रार्थनापत्र के अंतिम निस्तारण तक प्रदान करावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 3 से 8 को बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई जाने एवं बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 को न्यायालय हाजा द्वारा समय दिये जाने के बाद भी जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत नहीं करने से जवाब प्रा.पत्र बन्द किया गया। गैरसायल संख्या 2, 6 से 8 ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 6 से 8 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि पद संख्या 1 सही होने से स्वीकार है। बाकी उक्त पद में वर्णित तमाम कथन आधारहीन, असत्य व मनगढ़न्त होने से अस्वीकार है।जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा सरहद मौजा राबड़ीयावास, तहसील-जैतारण सम्पूर्ण रकबा पर कब्जा मौखिक पारिवारिक बंटवाड़ा व सहमति के अनुसार, गैरसायल संख्या 6,7,8 का है। इससे पूर्व वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक उक्त विवादित आराजी पर कब्जा गैरसायल संख्या 6,7,8 के पिताजी नारायणसिंह जी, दादाजी देवीसिंह जी, परदादाजी हरिसिंह जी का है। सायल उदयसिंह खातेदार जरूर है लेकिन सायल के दादाजी मोहब्बतसिंह जी व गैरसायलान भवानीसिंह, विकलकिशोरसिंह व जगपालसिंह के परदादाजी हरीसिंह जी आपस में सगे भाई थे तथा आपस में मौखिक पारिवारिक बंटवाड़ा व सहमति के अनुसार विवादित आराजी कृषि भूमि गैरसायलान भवानीसिंह, विकलकिशोरसिंह, जगपालसिंह के दादाजी देवीसिंह जी व परदादाजी हरीसिंह जी के बंट व हिस्से में आई तथा सायल के पिताजी नन्दसिंह जी व दादाजी मोहब्बतसिंह जी के हिस्से में अन्य कृषि भूमियां आयी। नन्दसिंह जी पुत्र मोहब्बतसिंह जी को उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि का 1/2 वां हिस्सा नारायणसिंह जी पुत्र देवीसिंह जी को हस्तान्तरित करना था, लेकिन नन्दसिंह जी के देहान्त के बाद गैरसायलान भवानीसिंह, विकलकिशोरसिंह व जगपालसिंह द्वारा नन्दसिंह जी के पुत्रों सायल उदयसिंह, गैरसायल संख्या 1 उमरावसिंह, गैरसायल संख्या 2 मानसिंह, पुत्री गैरसायला संख्या 3 राजकंवर, पौत्र गैरसायल संख्या 4 किशनसिह, पुत्रवधु गैरसायला संख्या 5 राजेशकंवर को उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि का नन्दसिंह जी 1/2 वां हिस्सा गैरसायलान भवानीसिंह, विकलविशोरसिंह, जगपालसिंह के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु बार-बार निवेदन किया जिस पर सभी ने जल्द ही उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि हस्तान्तरित करने का आश्वासन दिया तथा आज दिनांक तक उक्त कृषि भूमि का 1/2 वां हिस्सा नन्दसिंह जी के वारीसान द्वारा नारायणसिंह के वारीसान गैरसायलान भवानीसिंह, विकलकिशोरसिंह, जगपालसिंह के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं करवाया है। जिसके लिए गैरसायल संख्या 6,7,8 द्वारा नन्दसिंह जी वारीसान के खिलाफ [illegible] कृषि भूमि को प्राप्त करने के लिए एक घोषणा का वाद माननीय [illegible] न्यायालय में पेश करेगें, जिसमें गैरसायल संख्या 6,7,8 सफल होंगे। चूंकि [illegible] विवादित आराजी कृषि भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:52:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायल संख्या 6,7,8 पहले से खातेदार है तथा गैरसायल के पास सम्पूर्ण विवादित आराजी कृषि भूमि का कब्जा है। सायल या गैरसायल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि पर कभी काबिज नहीं हुए तथा ना ही कोई काश्त की है। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से उक्त गलत व असत्य कथन वाद पत्र में अंकित किया है कि वह उक्त विवादित आराजी का उपयोग–उपभोग कर रहा है, इसके लिए गैरसायलान भवानीसिंह, विकलकिशोरसिंह व जगपालसिंह की तरफ से उक्त अनवान के प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का अलग से पेश कर माननीय न्यायालय हाजा से निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि की मौके पर कब्जे की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर मंगवाई जायें कि वास्तविकता में उक्त विवादित भूमि खसरा आराजी कृषि मौजा–राबड़ीयावास पर कब्जा किसके पास है? जो प्रार्थना पत्र वर्तमान में माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है। सायल उदयसिंह ने अपनी विधिक पत्नी कमोद कंवर व उसके जायज पुत्र भानूप्रतापसिंह को घर से निकाल दिया है तथा परित्यक्त कर दिया है तथा नाथ समाज की दूसरी औरत पप्पूदेवी नाथ से शादी कर ली है, जिस पर गैरसायल संख्या 6,7,8 ने सायल उदयसिंह के उक्त कृत्य का घोर विरोध किया तो सायल उदयसिंह द्वारा गैरसायल को तंग व परेशान किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तमाम कथन आधारहीन, मनगढन्त व गलत होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि सायल व सायल के भाईयों को उक्त विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 सरहद मौजा – राबड़ीयावास के 1/2 वें हिस्से के बदले में अन्य कृषि भूमि हिस्से में मिल चुकी है। सायल का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है, इसिलिये साल का प्रार्थना–पत्र खारिज करने के आदेश न्यायहित में फरमावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3,4 में वर्णित तमाम कथन आधारहीन, मनगढन्त व गलत होने से अस्वीकार है। सायल व सायल के भाईयों को जो नन्दसिंह जी के वारीसान है, उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि के बदले में दूसरी भूमि मिल चुकी है, सायल उदयसिंह की नियतबद्ध हो गई है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र का मय शपथ–पत्र गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा सरहद मौजा – राबड़ीयावास , तहसील – जैतारण सम्पूर्ण कृषि भूमि गैरसायल संख्या 6,7,8 की है। उक्त विवादित कृषि भूमि पारिवारिक बंटवाड़ा व सहमति से आई हुई भूमि है, जिसमें सायल उदयसिंह व सायल के भाईयों गैरसायल संख्या 1,2,3,4,5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। सायल उदयसिंह के पिताजी नन्दसिंह जी को उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि में अपना 1/2 वां हिस्सा गैरसायल संख्या 6,7,8 के पिताजी नारायणसिंह जी पक्ष में हस्तान्तरित करवानी थी, लेकिन नन्दसिंह जी फोत हो जाने के बाद उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा नन्दसिंह जी के वारिसान द्वारा आज दिनांक तक गैरसायल संख्या 6,7,8 के [illegible] गैरसायल संख्या 6,7,8 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायल के पक्ष में बखूबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

साबित है। सायल का प्रार्थना-पत्र काबिले खारिज के है, इसिलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश न्यायहित में फरमावें।

गैरसायल संख्या 2 (मानसिंह) ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कथन स्वीकार है। बाकी उक्त पद में वर्णित तमाम कथन आधारहीन, असत्य व मनगढ़न्त होने से अस्वीकार है। सायल उदयसिंह गैरसायल संख्या दो मानसिंह का रिश्ते में सगा भाई है। खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण रकबा पर कब्जा मौखिक पारिवारिक बंटवाड़ा व सहमति के अनुसार गैरसायल संख्या 6,7,8 पिसरान नारायणसिंह जी का है तथा इससे पूर्व वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा सरहद मौजा – राबडीयावास पर कब्जा गैरसायल संख्या 6,7,8 के पिताजी नारायणसिंह जी, दादाजी देवीसिंह जी, परदादाजी हरिसिंह जी का रहा है। गैरसायल संख्या दो के दादाजी मोहब्बतसिंह जी व गैरसायल संख्या 6,7,8 के परदादाजी हरीसिंह जी आपस में सगे भाई थे। नन्दसिंह जी पुत्र मोहब्बतसिंह जी को उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि का 1/2 वां हिस्सा नारायणसिंह जी पुत्र देवीसिंह जी को हस्तान्तरित करना था, लेकिन आज दिन तक हस्तान्तरण नहीं किया। गैरसायल संख्या दो आज भी गैरसायलान को उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि हस्तान्तरण करने के लिए तैयार है। सायल उदयसिंह द्वारा दावा पेश करने के आशय से उक्त गलत कथन वाद पत्र में अंकित किया है कि वह उक्त विवादित आराजी का उपयोग-उपभोग कर रहा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित तमाम कथन मनगढ़न्त व गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या तीन में वर्णित तमाम कथन मनगढ़न्त व गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या चार में वर्णित तमाम कथन आधारहीन, मनगढन्त व असत्य होने से अस्वीकार है। सायल उदयसिंह दावा प्रस्तुत करने की गरज से उक्त झूठे व असत्य कथन उक्त पद में अंकित कर रहा है। सायल उदयसिंह का दावा खारिज के है, इसिलिये सायल का दावा खारिज करने के आदेश न्यायहित में फरमावें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब मय शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या दो मानसिंह की ओर से यह है कि उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा सरहद मौजा-राबड़ीयावास, तहसील – जैतारण सम्पूर्ण कृषि भूमि गैरसायल संख्या छह भवानीसिंह, गैरसायल संख्या सात विकलकिशोरसिंह व गैरसायल संख्या आठ जगपालसिंह कब्जा की है तथा ये ही उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि का उपयोग-उपभोग कर रहे है। सायल उदयसिंह का प्रार्थना पत्र खारिज के है, इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश न्यायहित में फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सायल/प्रार्थी/वादी द्वारा ग्राम राबड़ियावास में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 107–11 बीघा के सह–खातेदार होने के आधार पर अन्य सह–खातेदारान के विरूद्ध वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थी/वादी द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से दौराने मूल वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया है। सायल ने यह कथन किये कि सायल वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है एवं उपयोग कर रहे है। गैरसायल संख्या 2, 6 से 8 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में एवं दौराने बहस सायल/प्रार्थी के उक्त कथन का खण्डन किया व यह कथन किये कि वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर मौखिक पारिवारिक बंटवाड़ा व सहमति के अनुसार गैरसायल संख्या 6 से 8 का कब्जा काश्त है व उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायल/प्रार्थी एवं गैरसायलान/अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित सह–खातेदार है। हस्तगत प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों का गुणावगुण पर अंतिम रूप से विनिश्चय साक्ष्य पश्चात् होगा। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि भू–अभिलेखीय दस्तावेजों से यह स्पष्ट है वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह–खातेदारी की शामलाती आराजी है एवं संयुक्त शामलाती आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह–खातेदार का कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में साबित हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर सायल/प्रार्थी के द्वारा कब्जा–काश्त नहीं होने के केवल कथन मात्र किये है, उस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार संयुक्त सह–खातेदारी आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अविभाजित भूमि में अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अतः यह बिंदू भी प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रत्येक सह–खातेदारान के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही विभाजन से पूर्व यदि किसी सह–खातेदार द्वारा अविभाजित आराजी के विशिष्ट भू–भाग का किसी अन्य को हस्तांतरण कर दिया जाता है तो अन्य सह–खातेदारान को निश्चित ही अपूरणीय क्षति कारित होगी। जबकि अभिाजित संयुक्त शामलाती सह–खातेदारी आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर समान हक–अधिकार निहित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रत्येक सह–खातेदारान के लिए यह उचित होगा कि वह वादग्रस्त आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:52:44 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद के निस्तारण तक रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करें। ताकि प्रकरण में अनावश्यक विलंब व जटिलता उत्पन्न होने की संभावनाओं से बचा जा सके। अतः मूल वाद के निस्तारण तक हम **उभयपक्षकारान** को वादग्रस्त आराजी के रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर **उभयपक्षकारान** सायल एवं गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 108 रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:52:44 IST
Reason: SelfAttested